न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2010/00155 (92/2010) 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़ –– अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र पेमाराम जाति भाट सा0 मल्लड़खेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. भूपगिर } पिसरान मामराज जाति गुसांई निवासी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. मनीराम }
4. विमलादेवी पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी पीपल चौक वार्ड नं. 28 तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–– रेस्पोडैन्टस

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 20–5–2010

प्रकरण संख्या 175/2009 बअनवानी शंकरलाल बनाम सरकार

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक –

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से चक 10 एम.के. एस. ए. के 6.831 है0 भूमि रकबा जमाबंदी में प्रार्थी के नाम अलॉटी कस्टोडियन विभाग दर्ज है तथा उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अलॉटी के वारिस शंकर लाल के नाम खातेदारी सनद जारी करने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष वकुंलाय की बहस सुनी गई।
3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कियाकि राजस्थान सरकार के प्रपत्र दिनांक 06.10.2009 एवं राज0 भू राजस्व निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के नियम 5 के अनुसार खातेदारी देने पर 100 रूपये प्रति बीघा एवं अन्य राजकीय राशि बकाया ना होने को साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं होते हुए भी खातेदारी सनद रेस्पोडेण्ट को विधि विरूद्ध तरीके से

आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत रूप से सनद जारी की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6/2011/32/जी.एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। अन्तरण नहीं होने के कारण दर्ज आवंटी होने के कारण कोई शास्ति भी नहीं थी। हमने समय पर कार्यवाही की इस कारण हमें 25 प्रतिशत राशि देनी पड़ी। देरी करने वालों को नहीं देनी पड़ी। आज निर्णय निरस्त करने पर नये सिरे से विचार करने पर 25 प्रतिशत राशि देय नहीं होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में नये विधान की स्थिति लागू होगी जिसमें 25 प्रतिशत राशि का प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायायल का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी ग्राम 10 एमकेएस–ए की भूमि संवत 2062 से 65 शंकरलाल वल्द पेमा कौम भाट सा0 मल्लडखेडा अलॉटी दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट का अपील में मुख्य आधार यह है कि प्रश्नगत आराजी की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। प्रश्नगत आराजी पर मनीराम पुत्र मामराज गुंसाई का कब्जा काश्त है अलॉटी का कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 शंकर लाल का सम्मन इस रिपोर्ट के साथ वापस आ गया कि शंकर लाल पुत्र पेमा राम यहां नहीं रहता है। अपीलाण्ट ने उसका नया पता प्रस्तुत नहीं किया है। अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने प्रश्नगत भूमि को अपनी खरीदशुदा एवं कब्जा काश्त की भूमि बताया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने भी प्रश्नगत भूमि को अपनी खरीदशुदा होने का कथन करते हुए अपना कब्जा काश्त बताया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 कथनों की पुष्टि उसके द्वारा अपील में प्रस्तुत बैयनामा की प्रति एवं जमाबंदी 10 एमकेएस संवत 2066 से 2069 की फोटो प्रति से होती है। जमाबंदी में

प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरौक्त विवेचन एवम् विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.05.2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार मूल अलॉटी के कब्जा काश्त एवं बकाया राशि की स्थिति की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:55:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: